उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 42/2026/261/छप्पन-2026-11(सा0)/2021
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2026

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री अनूप सिंह को कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1168/छप्पन-2019-23/2017 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा रू0 4.50/- लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता तथा नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री अनूप सिंह द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया था। तदोपरान्त श्री अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा अवधि वर्षानुवर्ष बढ़ाई जाती रही। शासनादेश संख्या: 64/2024/941/छप्पन-2024-11(सा0)/2021 दिनांक 09 अगस्त, 2024 द्वारा उनकी संविदा सेवा अवधि दिनांक 05 सितम्बर, 2024 से 60 वर्ष की आयु अर्थात 31 मार्च, 2026 तक के लिए बढ़ाई गई थी।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासनादेश दिनांक 19 मई, 2025 के अनुसार अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 31 मार्च, 2026 से श्री अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) की संविदा सेवा पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ Case to Case basis पर विचार करते हुए अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री अनूप सिंह की संविदा अवधि दिनांक 02-04-2026 से 31-03-2027 तक के लिए बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्री अनूप सिंह को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्री अनूप सिंह से संविदा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0 संख्या- 42/2026/261(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि श्री अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग), फ्लैट नं0-4 चन्द्र विला, 31 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।